

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 मई 2018—ज्येष्ठ 5, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मई 2018

क्र. 8952-145-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १० सन् २०१८

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१८

[ "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ मई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधानमण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्यवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१८ है.
- मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अधधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
- अनुसूची का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३१.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट.	विंध्य शिक्षा समिति, सरदार पटेल परिसर गायखूरी; बालाघाट.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ ( सन् १९७३ का क्र ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, डोंगरिया, वारासिवनी रोड, बालाघाट.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३२.	डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा.	आल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट, भोपाल).	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ ( सन् १९७३ का क्र ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, पोस्ट छैगांव माखन, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३३.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर.	स्व. श्री बलवीर सिंह, गौतम, शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, छतरपुर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, नेशनल हाईवे ८६, ग्राम पंचायत बूदौर, जिला छतरपुर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

भोपाल:  
तारीख ११ मई, २०१८

आनंदीबेन पटेल  
राज्यपाल  
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2018

क्र. 8952-145-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO. 10 OF 2018

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2018

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th May, 2018.]

Promulgated by the Governor in the sixty-ninth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2018. Short title.
2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3. Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended.
3. In Schedule to the principal Act, after serial number 30 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :— Amendment of Schedule.

S. No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"31.	Sardar Patel University, Balaghat.	Vindhya Shiksha Samiti, Sardar Patel Campus, Gaykhuri, Balaghat.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrickaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sardar Patel University, Knowledge City, Dongariya, Waraseoni Road, Balaghat.	Whole of Madhya Pradesh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Dr. C. V. Raman University, Khandwa.	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrickaran, Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Dr. C. V. Raman University, Post-Chhegaon Makhan, Tehsil Khandwa, District Khandwa.	Whole of Madhya Pradesh.
33.	Shri Krishna University, Chhatarpur.	Late Shri Balbeer Singh Gautam Shiksha Prasar Evam Jankalyan Samiti, Chhatarpur.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrickaran, Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Shri Krishna University, Sagar Road, National Highway 86, Village Panchayat Budaur, District Chhatarpur.	Whole of Madhya Pradesh."

BHOPAL :  
DATED THE 11<sup>th</sup> MAY, 2018

ANANDIBEN PATEL  
Governor  
Madhya Pradesh.